

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
कमांक : अराज/सामान्य/2019/253

दिनांक : 8 मार्च, 2019

आदेश


निम्नलिखित कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से लोकहित में उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान में रिक्त पद पर किया जाता है :-

क्र.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	सुलोचना	म.स्वा.कार्य.	उपकेन्द्र रसूलसर डबेर, खाजूवाला, बीकानेर	उपकेन्द्र महलाना उतरादा, राजगढ, चूरु मे रिक्त पद पर
2	सुमित्रा	म.स्वा.कार्य.	प्रा.स्वा.केन्द्र, 665, तह. लूणकरणसर, बीकानेर	उपकेन्द्र रातुसर, चूरु मे रिक्त पद पर
3	प्रेमलता गोदारा	म.स्वा.कार्य.	उपकेन्द्र, उण, जालौर	प्रा.स्वा.केन्द्र, जैतसीसर, चूरु मे रिक्त पद पर
4	मैना देवी	म.स्वा.कार्य.	उपकेन्द्र 5 एएएमएस, भादरा, हनुमानगढ	उपकेन्द्र नेठवा, तारानगर, चूरु मे रिक्त पद पर
5	उर्मिला	म.स्वा.कार्य.	सा.स्वा.केन्द्र, साहवा, चूरु से अधिशेष	उपकेन्द्र जिकसाना ताल, चूरु रिक्त पद पर
6	प्रेम कुमारी	म.स्वा.कार्य.	उपकेन्द्र, सोढवाली, खियैरा, लूणकरणसर, बीकानेर	उपकेन्द्र रतनपुरा, जिला चूरु रिक्त पद पर
7	श्रीमती विमला	म.स्वा.कार्य.	उपकेन्द्र, मूंदरीताल, चूरु	सीएमएचओ सिरौही के अधीन रिक्त पद पर
8	सपना पारीक	नर्स द्वितीय	एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र सीकर मे नर्सिंग ट्यूटर के पदविरुद्ध
9	श्रीमती राजबाला	म.स्वा.कार्य.	उपकेन्द्र, गिरधारीपुरा, लाडनूं, नागौर	उप केन्द्र मूंदरीताल, चूरु विमला के स्थान पर

1. संविदा/रिवर्स डेपुटेशन/एनएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी।
2. कर्मचारी का स्थानान्तरण भूलवश दो बार होने की स्थिति मे प्रथम बार किये गये स्थानान्तरण की क्रियान्विति की जावे।
3. ऐसे संस्थान जहां एक ही पद स्वीकृत हैं। यदि वहां एक के अधिक कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो पहले कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी को कार्यग्रहण करावे। इसके पश्चात् उसी स्थान के लिए आने वाले कर्मचारी के पदस्थापन के संबंध मे निदेशालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही की जावे।
4. यदि कार्मिक का स्थानान्तरण रिक्त पद पर किया गया तथा उस संस्थान पर पद रिक्त नहीं हैं, तो कार्यग्रहण नहीं करवाते हुये अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करें।
5. उक्त कार्मिकों में से यदि किसी संस्थान में एक ही नाम के दो या उससे अधिक कार्मिकों कार्यरत हो तथा दो अथवा अधिक कार्मिक कार्यमुक्त हेतु प्रस्तुत होते हैं, तो निदेशालय से मार्गदर्शन उपरान्त ही कार्मिक को कार्यमुक्त करें।

6. रिक्त पद पर किये गये स्थानान्तरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।
7. अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किये गये स्थानान्तरण पर यदि कार्मिक की नियुक्ति अनुसूचित क्षेत्र हेतु हुई है अथवा कार्मिक का अनुसूचित क्षेत्र में कार्य हेतु विकल्प पत्र का सेवा पुस्तिका/सेवाभिलेख में इन्द्राज हो, तो उनके आदेश की क्रियान्विति नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों (1 से 7) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।



 (मुकुल शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2019/253

दिनांक : 8 मार्च, 2019

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
6. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय।
7. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
8. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
11. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।


 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
 राजस्थान जयपुर